**भारत सरकार**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 2177 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

**पोत निर्माण और पोत भंजन इकाइयां**

**†2177. श्री बस्तीपति नागराजूः**

**क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने विस्तारित पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति के अंतर्गत पोत निर्माण और पोत भंजन इकाइयों की स्थापना के लिए किन्ही विशिष्ट क्षेत्रों को चिह्नित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो चिह्नित स्थलों का ब्यौरा क्या है और ऐसी पोत निर्माण और पोत भंजन इकाइयों की सकल टन भार में अनुमानित क्षमता क्या है और उनके प्रचालनशील होने की राज्य-वार अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए संवितरित प्रत्यक्ष राजसहायता की राशि का ब्यौरा क्या है और कितनी इकाइयां लाभान्वित हुई हैं;

(घ) शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और संसाधित स्क्रैप की मात्रा, जारी किए गए क्रेडिट नोटों का मूल्य क्या है और खरीदे गए नए जहाजों की संख्या कितनी है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य में विगत पाँच वर्षों के दौरान पोत निर्माण और पोत भंजन कार्यकलापों के माध्यम से कुशल, अर्ध- कुशल और अकुशल श्रेणियों में रोजगार के कुल कितने अवसर सृजित हुए?

उत्तर

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**

**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क) से (ङ):** अभी ऐसी कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई है।

*****